शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 48 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 48 अंक – 35 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 28 – 04 सितम्बर 2023 मूल्य पांच रूपये

क्या यह शिकायत मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य का सच सामने लाने का प्रयास है

मुख्यमंत्री का स्थाई विकल्प मुख्यमंत्री ही होता है कोई दूसरा पदनाम नहीं

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर सोशल मीडिया मंचों पर उठी चर्चाओं का कड़ा संज्ञान लेते हुए कांग्रेस सचिव बलदेव ठाकुर ने एसपी शिमला को शिकायत भेज कर आरोप लगाया है कि कुछ शरारती अफवाहें फैला रहे हैं और उनके खिलाफ कारवाई की जानी चाहिए। इस शिकायत पर जांच भी शुरू हो गयी है। इस परिपेक्ष में बलदेव ठाकुर की शिकायत का विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है। बलदेव ठाकुर ने अपनी शिकायत में लिखा है कि प्रदेश सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री के खराब स्वास्थ्य को लेकर कोई भी बुलेटिन जारी नहीं किया गया है और न ही किसी स्वास्थ्य विशेषज्ञ ने कोई ऐसा दावा किया है। बलदेव ठाकुर का यह कहना बिल्कुल सही है कि सरकार या किसी स्वास्थ्य विशेषज्ञ से ऐसी कोई रिपोर्ट जारी नहीं हुई है। ऐसे में क्या इस शिकायत को ही ब्रह्म वाक्य मानकर पुलिस सोशल मीडिया के खिलाफ कारवाई शुरू कर देगी या इस शिकायत को आधार बनाकर जांच शुरू करेगी। स्मरणीय है की स्वास्थ्य को लेकर चर्चाएं एक ज्योतिषीय भविष्यवाणी से शुरू हुई थी। उसके बाद मुख्यमंत्री के चण्डीगढ़ प्रवास के दौरान फोर्टिस में चेकअप करवाने को लेकर एक सोशल मीडिया मंच पर रिपोर्ट आयी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मुख्यमंत्री चण्डीगढ़ प्रवास दौरान सरकार के हिमाचल भवन में न ठहर कर कहीं और ठहरे थे। लेकिन फोर्टिस की ओर से कोई स्वास्थ्य बुलेटिन जारी नहीं हुआ है। यदि मुख्यमंत्री को कोई उपचार दिया गया होगा तो उसके बिल का भुगतान राज्य सरकार की ओर से किया गया होगा। मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री किसी कारणवश अस्पताल पहुंच जाता है और उसे वहां दाखिल कर लिया जाता है तो उस स्थिति में अस्पताल के प्रशासन को हेल्थ बुलेटिन जारी करना पड़ता है। लेकिन मुख्यमंत्री को लेकर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसे में इस शिकायत के बाद इस सब की जांच करना आवश्यक हो जायेगा कि सही में मुख्यमंत्री फोर्टिस गये थे या नहीं। गये थे तो उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई बुलेटिन जारी क्यों नहीं हुआ। मुख्यमंत्री की रक्षा सुरक्षा राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। इस पर सरकार खर्च करती है। सरकार द्वारा खर्च किये गये हर पैसे की जानकारी जनता को मिलना आवश्यक है। ऐसे में इस शिकायत के बाद पुलिस को इन सारे पक्षों की जांच करना आवश्यक हो जायेगा। क्योंकि बलदेव ठाकुर अपने में तो कोई स्वास्थ्य विशेषज्ञ है नहीं। मुख्यमंत्री की अपनी ओर से ऐसा कोई वक्तव्य आया नहीं है। राज्य सरकार की ओर से भी कोई प्रैस नोट इस संबंध में जारी नहीं हुआ है। पार्टी की ओर से भी ऐसा कोई ब्यान नहीं आया है। वैसे कुछ विश्लेषक यह भी मान रहे हैं कि यह शिकायत इस मामले की सच्चाई बाहर लाने का ठोस प्रयास है। क्योंकि पुलिस को सच्चाई तक पहुंचाने के लिये यह सारे कदम उठाने ही पड़ेंगे। ऐसे हालात में जहां तक किसी अन्य के मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने का प्रश्न है तो उससे स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री के लिये अधिकारिक तौर पर छुटी पर जाने का कोई प्रावधान नहीं है। न ही संविधान में कार्यकारी मुख्यमंत्री की कोई अवधारणा है। मुख्यमंत्री एक स्थाई पद है। यदि विधानसभा है तो मुख्यमंत्री का होना अनिवार्य है। और मुख्यमंत्री की सुनिश्चितता राज्य के राज्यपाल की जिम्मेदारी है। क्योंकि मुख्यमंत्री का स्थाई विकल्प मुख्यमंत्री ही होता है कोई दूसरा नहीं।

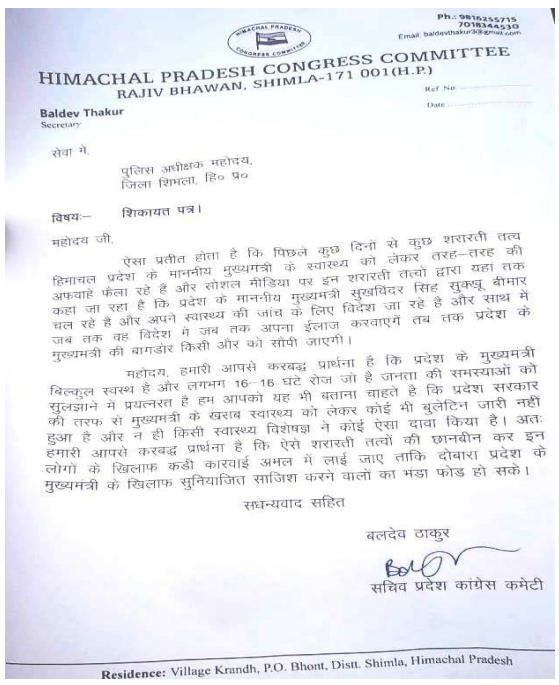

HIMACHAL PRADESH CONGRESS COMMITTEE
RAJIV BHAWAN, SHIMLA-171 001(H.P)

Ph.: 9816255715
7018544530
Email: baldevthakur3@gmail.com

Baldev Thakur
Secretary

Ref. No.
Date

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक महोदय,
जिला शिमला, हि० प्र०

विषयः— शिकायत पत्र।

महोदय जी,

ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले कुछ दिनों से कुछ शरारती तत्व हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर तरह–तरह की अफवाहें फैला रहे हैं और सोशल मीडिया पर इन शरारती तत्वों द्वारा यहां तक कहा जा रहा है कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बीमार चल रहे है और अपने स्वास्थ्य की जांच के लिए विदेश जा रहे है और साथ में जब तक वह विदेश में जब तक अपना ईलाज करवाएगें तब तक प्रदेश के मुख्यमंत्री की बागडोर किसी और को सौंपी जाएगी।

महोदय, हमारी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री बिल्कुल स्वस्थ है और लगभग 16–18 घंटे रोज जो है जनता की समस्याओं को सुलझाने में प्रयत्नरत है हम आपको यह भी बताना चाहते है कि प्रदेश सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री के खराब स्वास्थ्य को लेकर कोई भी बुलेटिन जारी नहीं हुआ है और न ही किसी स्वास्थ्य विशेषज्ञ ने कोई ऐसा दावा किया है। अतः हमारी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि ऐसे शरारती तत्वों की छानबीन कर इन लोगों के खिलाफ कडी कारवाई अमल में लाई जाए ताकि दोबारा प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ सुनियाजित साजिश करने वालों का भंडा फोड हो सके।

सधन्यवाद सहित

बलदेव ठाकुर
सचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी

Residence: Village Krandh, P.O. Bhont, Distt. Shimla, Himachal Pradesh

आवास आबंटन पर अदालत पहुंचे अधिकारी

प्रशासनिक पकड़ पर उठे सवाल

शिमला/शैल। सुक्खु सरकार के दो आई .ए.एस. अधिकारी सरकारी आवास आबंटन को लेकर उच्च न्यायालय पहुंच गये है। उच्च न्यायालय ने संबद्ध पक्षों को नोटिसआवास आमंत्रण को लेकर अधिकारियों का उच्च न्यायालय पहुंचना प्रशासनिक पकड़ पर प्रश्न चिन्ह भी जारी कर दिये हैं। दोनों ही अधिकारी मुख्यमंत्री के विश्वास पात्र माने जाते हैं क्योंकि एक निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क है तो दूसरा सोलन का जिलाधीश। मामला सिर्फ इतना भर है कि जिलाधीश सोलन आठ अप्रैल तक शिमला में ही कार्यरत थे। आठ अप्रैल को बतौर डीसी सोलन ट्रांसफर किया गया। जहां पर अब तक कार्यरत है। लेकिन शिमला में जो सरकारी आवास उनके पास था उसे उन्होंने अभी तक खाली नहीं किया है। जबकि यह आवास जुलाई में निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क को आबंटित हो चुका है। जिलाधीश सोलन आवास को खाली नहीं कर रहे हैं और इसी पर यह प्रकरण उच्च न्यायालय पहुंच गया है। जबकि आवास आबंटन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी करती है। यदि कोई अधिकारी, कर्मचारी स्थानान्तरण के बाद भी आवास खाली नहीं करता है तो उसे खाली करवाने की जिम्मेदारी संपदा निदेशालय की होती है। इसके लिए यदि अदालत तक भी जाना पड़ता है तो संपदा निदेशालय जाता है। लेकिन इस मामले में निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क को अदालत से यह गुहार लगानी पड़ी है कि जिलाधीश सोलन अवैध कब्जाधारी है।

दो अधिकारियों के बीच आवास को लेकर उभरा विवाद सचिवालय की दहलीज लांघकर अदालत के आंगन में जा पहुंचे तो आम आदमी की सरकार को लेकर क्या धारणा बनेगी। क्या मुख्य सचिव के स्तर पर यह मामला नहीं सुलझ पाया? क्या अदालत पहुंचने की नौबत आने से पहले इसे मुख्यमंत्री के संज्ञान में नहीं लाया गया होगा? क्या इस तरह यह मामला प्रशासनिक अराजकता का प्रमाण नहीं बन जाता है।

प्राकृतिक आपदा में राज्य पुलिस के योगदान की सराहना, नशे पर अंकुश लगाने पर बल दिया

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने ऐतिहासिक गेयटी थियेटर में आयोजित डीजीपी डिस्क पुरस्कार समारोह में बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। तीन वर्ष बाद आयोजित इस कार्यक्रम में राज्यपाल ने वर्ष 2020, 2021 और 2022 के लिए 334 पुलिस कर्मियों को डीजीपी डिस्क अवार्ड प्रदान किए।

इस अवसर पर राज्यपाल ने प्रदेश में हाल ही की प्राकृतिक आपदा के दौरान प्रदेश पुलिस द्वारा किए गए बचाव कार्यो की सराहना करते हुए कहा कि जिस प्रकार प्रभावित क्षेत्रों से देश-विदेश के पर्यटकों सहित अन्य सभी लोगों को सुरक्षित निकालने का कार्य किया गया, उससे आम जनता में पुलिस के प्रति विश्वास और सम्मान बढ़ा है।

राज्यपाल ने पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि राज्य पुलिस और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल ने अकेले कुल्लू जिला से विदेशी पर्यटकों सहित 70,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला।

उन्होंने नशे के बढ़ते अवैध कारोबार पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे निपटना एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अवैध नशीली दवाओं के कारोबार पर रोक के दृष्टिगत गंभीर प्रयास किए हैं। नशे के नियंत्रण और इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए भी सरकार बेहतरीन कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि नशे के कारोबारियों पर पुलिस की निगरानी बेहद आवश्यक है और ऐसे असामाजिक तत्वों को कानून के दायरे में नियंत्रित कर हम युवा शक्ति को इस सामाजिक बुराई से बचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य पुलिस ने अपने निरंतर प्रयासों से मादक पदार्थ के तस्करों को गिरफ्तार किया है तथा अवैध रूप से अर्जित उनकी 13 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति की कुर्की के 23 मामले भी सक्षम प्राधिकारी को भेजे गए हैं। इसके अलावा, नारकोटिक्स अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय जांच के लिए 10 मामलों को प्रवर्तन निदेशालय को भेजा गया है।

राज्यपाल ने एकीकृत यातायात प्रबन्धन प्रणाली जैसी तकनीक के उपयोग पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि पुलिस के इस प्रयास से वर्ष 2023 में सड़क दुर्घटनाओं, चोटों और सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में भारी कमी आई है। उन्होंने कहा कि राज्य पुलिस के नाम कई उपलब्धियां हैं, जिनमें पासपोर्ट सत्यापन में भारत में पहला स्थान, वर्ष 2022 में इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कार्यान्वयन में तीसरा स्थान और वर्ष 2020-2021 में क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के कार्यान्वयन में 11वां स्थान प्राप्त करना शामिल है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पुलिस भारत की 8वीं राज्य पुलिस है जिसे 'प्रेसिडेंट कलर' सम्मान का गौरव प्राप्त हुआ है और इसने पहाड़ी और उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। राज्य पुलिस साइबर अपराध की समस्या से निपटने में भी तकनीकी रूप से सक्षम है।

पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने राज्यपाल का स्वागत करते हुए कहा कि प्रदेश पुलिस में अनेक नवोन्मेषी प्रयास किए गए हैं, जिन्हें अन्य राज्यों की पुलिस भी अपना रही है। विभाग द्वारा नशीली दवाओं पर रोक, सड़क दुर्घटनाओं में कमी, संगठित अपराध की रोकथाम और पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रत्येक पुलिसकर्मी पूरी लगन से काम कर रहा है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, अभिषेक त्रिवेदी ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

इस अवसर पर पुलिस बैंड 'हार्मनी ऑफ पाइन्स' ने भी प्रस्तुति दी।

नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान, उप महापौर उमा कौशल, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।

सतत खाद्य प्रणालियां विकसित करने पर ज़ोर दिया

शिमला/शैल। प्राकृतिक खेती के लिए सतत खाद्य प्रणाली मंच SusPNF के कार्यान्वयन की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए डॉ. यशवंत सिंह परमार औदयानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी में एक दिवसीय

कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के कृषि सचिव राकेश कंवर मुख्य अतिथि जबकि पदमश्री नेक राम शर्मा वशिष्ट अतिथि रहे। यह कार्यशाला विश्वविद्यालय, कृषि विभाग की प्राकृतिक कृषि खुशहाल योजना (पीके3वाई) और नाबार्ड के बीच भागीदारी सहयोग का हिस्सा है जिसका उद्देश्य प्राकृतिक किसानों को सशक्त बनाना और कृषि क्षेत्र में प्रगति को बढ़ावा देना है।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि राकेश कंवर का विचार था कि सतत खाद्य प्रणालियाँ समय की माँग हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा ने यह सवाल सामने खड़ा किया है कि क्या हम उसी तरह से खेती कर पाएंगे जैसे वर्तमान में कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन ने खाद्य संकट की अवधारणा को वास्तविकता बना दिया है। हालाँकि इस खतरे से निपटने के स्थायी समाधान स्थानीय होंगे, लेकिन सफल होने के लिए प्रयासों का वैश्विक होना जरूरी होगा।

उन्होंने कहा कि हमारी चुनौती किसानों के लिए कम लागत वाली क्लस्टर-आधारित विकेन्द्रीकृत प्रौद्योगिकियों को ढूंढना होगा। उन्होंने एफपीसी के सदस्यों से आग्रह किया कि वे इस परियोजना को वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने और लाभ-संचालित बाजार म डल की ओर बढ़ने के लिए अपनी क्षमता निर्माण करने की दिशा में एक कदम के रूप में लें।

हिमाचल के मिलेट मैन और पद्मश्री पुरस्कार विजेता नेक राम शर्मा ने इस पहल की सराहना की और किसानों और वैज्ञानिकों से श्री अन्न और कई स्थानीय खाद्य पदार्थो, जिन्हें वर्षो से भुला दिया गया है, की खेती करने और भोजन का हिस्सा बनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हमारी भोजन की आदतों ने हम जो उगाते हैं उसे बदल दिया है। जल, जंगल और जमीन पर फिर से ध्यान केंद्रित करने पर उन्होंने जोर दिया।

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राजेश्वर सिंह चंदेल ने कहा कि यह देश में पहला उदाहरण है जहां विश्वविद्यालय को प्राकृतिक कृषक उत्पादक कंपनियों एन-एफपीसी की सहायता के लिए उत्पादक संगठन प्रमोटिंग इंस्टीटयूशन (पी ओ पी आई) घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना देश में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों की सफलता की कहानियों को शामिल करके रोडमैप स्थापित करने में मदद करेगी। प्रोफेसर चंदेल ने कहा कि विश्वविद्यालय अन्य भागीदार संगठनों के सहयोग से न केवल सहायता प्रदान करेगा बल्कि बाजार संपर्क विकसित करेगा और नाबार्ड जैसे वित्तीय संस्थानों तक एफपीसी की पहुंच बढ़ाएगा।

इससे पहले, कृषि निदेशक डा. रघबीर सिंह ने कहा कि दुनिया अब प्राकृतिक खेती के लिए हिमाचल मॉडल को देख रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में किसानों के बीच छोटी लैंड होल्डिंग्स एक चुनौती है और इस समस्या को दूर करने के लिए एफपीसी एक व्यवहार्य समाधान है जो किसानों की बाज़ार में अपने उत्पाद को ले जाने की क्षमता को बढ़ाता है। उन्होंने कम लागत वाली लघु भंडारण सुविधाएं विकसित करने का भी आहवान किया, जिससे पहाड़ी किसानों को फायदा हो सके। विस्तार शिक्षा निदेशक डा. इंद्र देव ने कहा कि यह पहल किसानों की आय में वृद्धि को लक्षित कर रही है और आने वाले समय में विश्वविद्यालय एक स्थायी खाद्य प्रणाली का एक संपूर्ण मॉडल देने में सक्षम होगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के छात्र भी इस कार्यशाला में भाग ले रहे हैं और भविष्य में इन में कई को मास्टर प्रशिक्षक बनाया जाएगा।

कार्यशाला के दौरान कई तकनीकी सत्रों में प्राकृतिक खेती के लिए प्रमाणन की CETARE प्रणाली जैसे विषयों पर चर्चा की गई। सभी हितधारकों के बीच प्राकृतिक किसानों के लिए एक मजबूत समर्थन पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने पर चर्चा हुई, जिसमें फसल कटाई के बाद सहायता, सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप मानचित्रण और विभिन्न तकनीकी सहायता प्रदान करने जैसे महत्वपूर्ण संसाधन शामिल थे। कार्यशाला के दौरान प्राकृतिक खेती आधारित एफपीसी द्वारा विकसित विभिन्न नवीन उत्पादों की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई।

नाबार्ड के एजीएम अशोक चौहान, विश्वविद्यालय के सभी वैधानिक अधिकारी और विभाग अध्यक्ष, प्राकृतिक कृषि खुशहाल किसान योजना की राज्य परियोजना कार्यान्वयन इकाई सहित इस परियोजना से जुड़े सभी हितधारक, प्राकृतिक खेती आधारित एफपीसी के सीईओ और निदेशक मंडल और इससे जुड़े विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने कार्यशाला में भाग लिया। कार्यशाला में विश्वविद्यालय के छात्रें और विश्वविद्यालय में प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय प्रशिक्षण में भाग ले रहे कई संस्थानों के वैज्ञानिकों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

महिलाओं ने राज्यपाल की कलाई पर राखी बांधी

शिमला/शैल। रक्षा बंधन के पावन अवसर पर विभिन्न संगठनों से जुड़ी महिलाओं ने राज भवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल की कलाई पर राखी बांधी और उन्हें शुभकामनाएं दीं।

प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, पंथाघाटी और सुन्नी केंद्र की ब्रह्माकुमारियों ने राज्यपाल को रक्षा सूत्र बांधा और उनकी दीर्घायु की कामना की। शिमला ज़िला की ग्राम पंचायत मशोबरा और ढली के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं ने भी राज्यपाल को रक्षा सूत्र बांधकर उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की।

हिमाचल प्रदेश राज्य रेडक्रास सोसायटी की पदाधिकारियों और अन्य सदस्यों ने भी राज्यपाल को राखी बांधकर रक्षा बंधन की शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर छोटी बच्चियों ने राज्यपाल को स्व-निर्मित 'ग्रीटिंग कार्ड' भी भेंट किये। राज्यपाल ने उन्हें पौधे भेंट किये और रक्षा बंधन की शुभकामनाएं दीं।

राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को रक्षा बंधन की बधाई देते हुए कहा कि आपसी भाईचारे और सद्भाव का यह पावन पर्व हमें अपनी उच्च परंपराओं और मूल्यों से जुड़े रहने की प्रेरणा देता है।

राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने रक्षा बंधन की बधाई दी

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रक्षा बंधन के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है।

राज्यपाल ने विश्वास व्यक्त किया कि रक्षा बन्धन का त्यौहार जहां आपसी भाई-चारे को बढ़ाएगा, वहीं समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यह पर्व भाई-बहन के बीच प्यार, स्नेह और परस्पर विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि रक्षा बन्धन का त्यौहार परिवार व समाज में आपसी भाई-चारे को सुदृढ़ करता है। उन्होंने कामना की कि राखी का यह पर्व सभी के जीवन में खुशियां व समृधि लेकर आये।

उभरते डिजिटल परिदृश्य के अनुरूप ढल रहा हिमाचल:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकर 'डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग' करने एवं विभाग की नई वेबसाइट का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश संभवत: देश का पहला राज्य है जिसने डिजिटल रूप से उन्नत और आधुनिक राज्य बनने की दिशा में कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाये हैं और विभाग का यह नया नाम इसके कार्यों के अनुरूप प्रासंगिक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन में उभरती प्रौद्योगिकी के व्यापक दायरे को देखते हुए विभाग का नाम डिजिटल प्रौद्योगिकी और गवर्नेंस विभाग किया गया है। उन्होंने कहा कि विभाग को उभरते डिजिटल परिदृश्य और बदलती आवश्यकताओं के साथ जोड़ना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आमजन तक सरकारी सेवाओं के लाभ शीघ्रता से पहुंचाने के लिए प्रौद्योगिकी संचालित शासन के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सभी सेवाओं का डिजिटलीकरण कर तेज और सर्वसुलभ डेटा कनेक्टिविटी के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी को अपनाना आवश्यक है ताकि समावेशी विकास सुनिश्चित हो सके।

उन्होंने कहा कि सरकारी सेवाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने में डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग एक क्रांतिकारी कदम है। इससे सूचना और सेवाएं प्राप्त करने के लिए आम लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग से सरकार द्वारा शासन और सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं शासन विभाग विभिन्न विभागों में डिजिटल क्षमता के अनुरूप चार मुख्य क्षेत्रों डिजिटल प्रौद्योगिकी, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं डेटा गवर्नेंस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन तथा सूचना प्रौद्योगिकी निवेश एवं औद्योगिक प्रोत्साहन को सुदृढ़ करेगा। इन क्षेत्रों के माध्यम से डिजिटल प्रौद्योगिकी, टेली-संचार, ई-गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, साइबर-सुरक्षा, कृत्रिम मेधा, ड्रोन और ड्रोन-आधारित सेवाएं, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉक चेन, और बिग डेटा एनालिटिक्स जैसी उभरती प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए नीतियां विकसित कर कार्यान्वित की जाएंगी। इसमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों के लिए प्रभावी मैपिंग, डेटा प्रबंधन और विश्लेषण के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली प्रौद्योगिकी का एकीकरण एवं कार्यान्वयन तथा सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन सहित विभिन्न उभरती प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना शामिल है। इस अवसर पर प्रधान सलाहकार (सूचना प्रौद्योगिकी एवं नवाचार) गोकुल बुटेल, सचिव डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस डॉ. अभिषेक जैन और निदेशक मुकेश रेपसवाल भी उपस्थित थे।

ई-फाइल प्रणाली से कार्य करना सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा के

लिये यहां आयोजित प्रशासनिक सचिवों की मंडे मीटिंग की अध्यक्षता की। उन्होंने विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी परियोजनाओं को समयबद्ध पूर्ण किया जाये।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय में सभी फाइलें ई-फाइल प्रणाली के माध्यम से भेजी जाए। इससे समय की बचत होगी और कार्यों को शीघ्र निपटाने में मदद भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी जन सेवाओं के लिए ऑनलाइन प्रणाली समयबद्ध कार्यान्वित की जाये। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गवर्नेंस में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को विशेष अधिमान दे रही है। इससे प्रशासन में पारदर्शिता के साथ-साथ दक्षता भी सुनिश्चित होती है। उन्होंने सभी नगर निगमों और शहरी स्थानीय निकायों का पूर्णतया डिजिटाइजेशन सुनिश्चित करने को भी कहा। इससे लोगों को अधिकांश सेवाएं ऑनलाइन माध्यम से उनके घर में ही प्राप्त हो सकेंगी। मुख्यमंत्री ने नींबू प्रजाति फल उत्पादन बहुल क्षेत्र में अतिरिक्त जूस से साइडर बनाने के लिए आधुनिक संयंत्र स्थापित करने की संभावनाएं तलाश करने के निर्देश दिए। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए उन्होंने शिमला, रिज स्थित पुस्तकालय के खुलने का समय बढ़ाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना, राजीव गांधी रोज़गार योजना सहित अन्य योजनाओं की विस्तृत समीक्षा भी की। बैठक में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, विभिन्न प्रधान सचिव और अन्य सचिव उपस्थित थे।

आपदा प्रभावित ऋणधारकों के लिए ब्याज छूट सुविधा की सम्भावना तलाश रही प्रदेश सरकार: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के संवदेनशील नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने राज्य में भारी बारिश और भू-स्खलन से प्रभावित क्षेत्रों में ऋणधारकों की कठिनाइयों को कम करने के दृष्टिगत ऋण पुन:संरचना के लिए निर्णायक कारवाई की है। राज्य सरकार ने 18 अगस्त, 2023 को प्रदेश को 'प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र' घोषित किया था। इस निर्णय के पश्चात मुख्यमंत्री ने बैंकों के साथ परामर्श कर आवश्यक उपायों को अंतिम रूप दिया। राज्य सरकार की यह पहल कृषि और संबद्ध गतिविधियों से संबंधित अग्रिमों को छोड़कर, सभी प्रकार के मौजूदा ऋणों की पुन:संरचना पर केंद्रित है, जिनमें सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई), खुदरा और अन्य के लिए प्रदत्त ऋण शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) के परिपत्र के अनुसार राज्य सरकार द्वारा फसल के नुकसान के आकलन के बाद कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए दिए गए ऋणों के लिए राहत उपाय प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस महत्त्वपूर्ण निर्णय का उद्देश्य उन लोगों को राहत प्रदान करना है जिनकी आर्थिक स्थिरता आपदा के कारण विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में व्यवधान और संपत्ति के नुकसान के कारण गंभीर रूप से प्रभावित हुई है।

राहत उपायों के लिए पात्रता निर्धारित करने की मूल्यांकन तिथि 24 जून, 2023 निर्धारित की गई है। केवल वे खाते जो इस तिथि तक अतिदेय नहीं थे, ऋण पुन:संरचना के लिए पात्र होंगे। संपूर्ण पुन:संरचना प्रक्रिया सरकार द्वारा प्रदेश को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित करने की तारीख 18 अगस्त, 2023 से तीन महीने के भीतर पूरी की जाएगी।

पात्र लोगों के लिए एक स्थगन अवधि लागू की जाएगी जिससे मामले-दर-मामले आधार पर मूल्यांकन किए गए आवश्यकता- आधारित पुन:संरचना उपायों को लागू करने की तारीख से 12 महीने तक मूल किस्त के भुगतान को स्थगित करने की अनुमति मिलेगी। प्रभावितों को राहत के दृष्टिगत यह महत्त्वपूर्ण निर्णय आर.बी.आई. की सभी विनियमित संस्थाओं पर लागू होगा, जिसमें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक (ग्रामीण और शहरी) और लघु वित्तीय बैंक शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित ऋणधारकों के लिए ब्याज छूट सुविधाओं की संभावना तलाशने के लिए आर.बी.आई. के साथ समन्वय करेगी। राज्य सरकार के इस कदम से प्रभावित ऋणधारकों को आवश्यक वित्तीय राहत मिलने की उम्मीद है, जिससे उन्हें इस विनाशकारी प्राकृतिक आपदा से उबरने अपने व्यवसायों के पुनर्निर्माण में मदद मिल सकेगी।

प्रदेश में निर्माण कार्यों पर 16 सितम्बर तक रोक के संबंध में आदेश

शिमला/शैल। मुख्य सचिव एवं राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष प्रबोध सक्सेना ने राज्य आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा 24 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य में निर्माण गतिविधियों के संबंध में आदेश जारी किए हैं।

इन आदशों के अनुसार आपदा प्रभावित इमारतों और सड़कों के पुनर्निर्माण कार्यों को छोड़कर किसी भी प्रकार के निजी विकास और निर्माण गतिविधि के लिए पहाड़ियों के कटान पर पूरे राज्य में 16 सितंबर 2023 तक प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अतिरिक्त शिमला, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, सोलन और चंबा जिलों में वाणिज्यिक, पर्यटन इकाइयों के निर्माण के संबंध में 16 सितम्बर, 2023 तक नई योजना अनुमति एवं भवन अनुमति पर प्रतिबंध रहेगा।

यह निर्णय प्रदेश में भारी बरसात के कारण आई प्राकृतिक आपदा के दृष्टिगत मानवीय जीवन, आधारभूत संरचना, पारिस्थितिकी की सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है।

यह आदेश जारी होने की तिथि से तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और इनकी अवहेलना पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

गैर मादक उपयोग के लिए भांग की खेती पर नीति तैयार करेगी सरकार:जगत सिंह नेगी

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार राज्य में औद्योगिक, औषधीय तथा वैज्ञानिक उपयोग के लिए भांग की खेती शुरू करने के लिए नीति तैयार करेगी। इससे जहां गम्भीर रोगियों को

भांग के औषधीय उपयोग का अधिकार प्राप्त होगा, वहीं भांग के विविध उत्पादों से प्रदेश में राजस्व भी अर्जित होगा।

यह जानकारी राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने भांग के गैर मादक उपयोग की अनुशंसा के लिए गठित समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने कहा कि देश में स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 लागू है। इसके अतिरिक्त राज्य में हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1989 भी कार्यान्वित किया जा रहा है। यह नीति इन अधिनियमों के तहत तैयार की जाएगी।

जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में नशीले पदार्थों के उपयोग के प्रति संवदेनशील है तथा नशा निवारण के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। इसके दृष्टिगत केवल औद्योगिक, औषधीय तथा वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए भांग की खेती को सीमित करना और वैध तरीके से किसानों तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना प्रदेश सरकार का ध्येय है। भांग के पौधे से विभिन्न उत्पाद बनाये जा सकते हैं, जो बाजार में अच्छे दाम प्राप्त करते हैं।

इस अवसर पर अधिवक्त देवेन कृष्ण खन्ना ने भांग की खेती के संबंध में समिति के समक्ष नीति का प्रारूप प्रस्तुत किया।

आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी युनूस ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा नीति के सभी पहलुओं पर गहनता से विचार किया जा रहा है।

बैठक के दौरान समिति के सदस्य तथा मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर, मुख्य संसदीय सचिव मोहन लाल ब्राक्टा, विधायक पूर्ण चंद ठाकुर, केवल सिंह पठानिया, सहायक आयुक्त आबकारी डॉ. राजीव डोगरा और राज्य कर एवं आबकारी विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

प्रदेश में आम सहित छः अन्य प्रजातियों के पेड़ों के कटान पर रोक

शिमला/शैल। प्रदेश से बाहरी प्रदेशों में होने वाले इमारती लकड़ी और ईंधन की लकड़ी की चोरी को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने आम और पांच अन्य प्रजातियों के पेड़ों के काटने पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है।

इस संबंध में जानकारी देते हुये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आम के पेड़ों के साथ-साथ त्रियांबल फिकस प्रजाति, तुनी तूना सिलियाटा, पदम या पाजा प्रूनस सेरासस, रीठा सैपिंडस मुकोरोसी और बान क्वेरकस ल्यूकोट्राइकोफोरा के पेड़ों को काटने पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन छह प्रजातियों को वन विभाग के 10-वर्षीय कटाई कार्यक्रम के तहत लाया गया है। उन्होंने कहा कि अब इन पेड़ों को केवल वन विभाग की अनुमति के साथ ही काटा जा सकता है। हालांकि, नए नियम के तहत घरेलू कार्यों के लिए एक वर्ष में अधिकतम पांच पेड़ों को काटने की अनुमति रहेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के बाहर किसी भी प्रजाति की इमारती लकड़ी और ईंधन की लकड़ी को ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, जिसका उद्देश्य हिमाचल प्रदेश से लकड़ी की तस्करी पर अंकुश लगाना और राज्य के मूल्यवान संसाधनों को बचाना है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार के इस निर्णय से वनों के अवैध कटान की रोकथाम होगी और राज्य की जैव विविधता को बचाने में भी मदद मिलेगी। वन विभाग ने 13 पेड़ प्रजातियों की एक संशोधित सूची अधिसूचित कर दी है जिन्हें वन परिक्षेत्राधिकारी को सूचित कर काटा जा सकता है। जबकि बाकी अन्य सभी प्रजातियों के पेड़ों को काटने के लिए वन विभाग की अनुमति अनिवार्य होगी। इस कदम से न केवल स्वदेशी प्रजातियों का संरक्षण होगा, बल्कि वन्य जीव संरक्षण में भी मदद मिलेगी।

यदि आप प्रयास करने के बाद भी असफल हो जायें तो भी उस व्यक्ति से हर हाल में बेहतर होंगे जिसको बिना किसी प्रयास के सफलता मिल गई हो। ..... आचार्य चाणक्य

सम्पादकीय

संसद का विशेष सत्र क्यों

मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाकर पूरे देश को अटकलों के भंवर में लाकर खड़ा कर दिया है। क्योंकि विशेष सत्र का अर्थ ही यह है कि सरकार कुछ ऐसा विशेष करने जा रही है जिसके लिए नियमित सत्र का इन्तजार नहीं किया जा सकता। ऐसे में यह अटकलें लगना स्वभाविक है कि यह विशेष क्या हो सकता है। लोकसभा का आम चुनाव सामान्य स्थितियों में मई 2024 में होना है। ऐसे में यह देखना और समझना आवश्यक हो जाता है कि मोदी सरकार ने ऐसा कौन सा वायदा परोक्ष/अपरोक्ष में देश के साथ कर रखा है जिसे पूरा करने के लिये विशेष सत्र आहूत करना आवश्यक हो गया है। मोदी के नेतृत्व में भाजपा मई 2014 में केंद्र की सत्ता पर काबिज हुई थी और 2019 के चुनावों में पहले से भी ज्यादा बहुमत हासिल किया यह एक हकीकत है। लेकिन 2014 में भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस लोकपाल की स्थापना के मुद्दे पर सत्ता परिवर्तन हुआ था उसका व्यवहारिक सच यह है कि जिन नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे वह अब भाजपा में जाकर बिना किसी जांच के पाक साफ हो गये हैं। इसलिये भ्रष्टाचार से जुड़ा कोई मुद्दा विशेष सत्र का विषय नहीं हो सकता भले ही 183 अपराधों को जेल की सजा के दायरे से बाहर कर दिया हो।

मोदी सरकार ने जन विश्वास विधेयक पारित करके व्यवसाय और जीवन ज्ञापन को सुगम बनाने का प्रयास करने का दावा किया है। क्योंकि मोदी मूल सूत्र मेक इन इंडिया है। इस सूत्र के तहत विदेश की बहुराष्ट्रीय कंपनियों को यहां बुलाकर देश के संसाधन उन्हें उपलब्ध करवाकर देश में निर्माण करने के लिये आमंत्रित किया है। इस व्यवसायिक सुगमता के लिये ही यहां के हर संसाधन की प्राइवेट सैक्टर को उपलब्धतता सुनिश्चित करने के लिये बड़े पैमाने पर निजीकरण को बढ़ावा दिया गया है। इससे यह बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे ही संसाधनों से लाभ कमा कर अपने देश में ले जा रहे हैं। क्योंकि सरकार मेड इन इंडिया की बजाये मेक इन इंडिया को सूत्र बनाकर चल रही है। इसलिये इस संद्धर्भ में भी कुछ अप्रत्याशित लाने के लिये यह विशेष सत्र नहीं हो रहा है यह तय है।

मोदी सरकार हर चुनाव में अपना एजेंडा बदलती रही है यह अब तक का रिकॉर्ड रहा है। हर चुनाव नये नारे पर ही लड़ा गया है। इसलिये इस चुनाव के लिये भी कुछ नया लाने का प्रयास रहेगा यह तय है। मोदी सरकार ने विधानसभा से लेकर संसद तक को अपराधियों से मुक्त करवाने और एक देश एक चुनाव की बात भी संसद के संयुक्त सत्र में की थी। इसलिये इस विशेष सत्र में इस आश्य का संशोधन लाये जाने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। क्योंकि पिछले दोनों चुनावों में विपक्ष बिखरा हुआ था जो कि अब इकटठा होता जा रहा है। जिस राहुल गांधी को पप्पू प्रचारित करने के लिये लाखों का निवेश किया गया था वह राहुल गांधी भारत छोड़ो यात्रा के बाद मोदी से बहुत आगे निकल चुका है। लेकिन एक बड़ा सच यह भी है कि भाजपा संघ परिवार की एक राजनीतिक इकाई है। संघ का मूल सूत्र हिन्दु राष्ट्र की स्थापना है। संघ की सारी ईकाईयां एक अरसे से इस दिशा में प्रयासरत रही हैं। इस समय संसद में जो बहुमत मोदी भाजपा को हासिल है इतना बड़ा बहुमत पुन: मिल पाना संभव नहीं है। हिन्दु राष्ट्र को लेकर देश की राजनीतिक प्रतिक्रिया क्या रहेगी इसके लिये दो स्तरों पर प्रयास हुये हैं। मेघालय उच्च न्यायालय के जस्टीस सेन का हिन्दु राष्ट्र को लेकर दिया गया फैसला पहला प्रयास था। भले ही मेघालय उच्च न्यायालय की बड़ी पीठ ने एकल पीठ के फैसले को बाद में पलट दिया है लेकिन यह पलटना तब हुआ जब इस पर सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका आ गयी। यह फैसला राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक सब स्तरों पर सर्व हो चुकने के बाद पलटा गया है। परन्तु इस पर केंद्र सरकार और संघ की कोई प्रतिक्रिया तक नहीं आयी है। जबकि संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत के नाम से भारत का नया संविधान तक वायरल हो चुका है और इस पर भी संघ और सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आयी है। मोदी सरकार आर्थिक क्षेत्र में बुरी तरह असफल रही है। महंगाई और बेरोजगारी ने हर आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। इनके अनुपात में आम आदमी की आय नहीं बढ़ी है। बेरोजगार और गरीब के लिये चन्द्रयान की उपलब्धि अपनी महंगाई और बेरोजगारी के बाद आती है। इसलिये संभव है कि सरकार संघ के दबाव में हिन्दु राष्ट्र को लेकर इस विशेष सत्र में फैसला ले लें।

2024 का संसदीय चुनाव भाजपा के लिए कठिन, कुछ ठोस बदलाव की ओर बढ़ रही सरकार

गौतम चौधरी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी टीम को अब इस बात का एहसास हो गया है कि इस बार का संसदीय आम चुनाव आसान नहीं है। उन्हें इस बात का भी अंदाजा हो गया है कि केवल हिन्दू वोटों के धरुवीकरण मात्र से चुनाव नहीं जीते जा सकते हैं। इसके लिए उन्हें कुछ कल्याणकारी योजनाओं पर भी अमल करने होंगे। हालांकि नरेन्द्र मोदी की सरकार विकास के मामले, अन्य सरकारों की तुलना में ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है। यही नहीं सरकार कई कल्याणकारी योजनाओं को भी अंजाम दे रही है, जिसमें करोड़ों जनता को रियायती दर पर अन्न उपलब्ध कराने से लेकर किसानों के खातों में सालाना रुपये जमा कराना तक शामिल है। हालांकि चालू वित्तवर्ष के बजट में सरकार ने ग्रामीण असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए चलाये जाने वाले देश की सबसे बड़ी योजना, मनरेगा की राशि में थोड़ी कटौती कर दी लेकिन अन्य कई ग्रामीण योजनाओं में राशि बढ़ाई गयी है। ग्रामीण आधारभूत संरचना को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने कई योजनाएं प्रारंभ की है। यह ग्रामीण क्षेत्रों से होने वाले पलायन को रोकने में सफल भी साबित हो रहा है। बावजूद इसके महंगाई और सरकार के कॉरपोरेटीकरण के प्रचार ने सरकार की छवि को कमजोर किया है। इस मामले में सरकार का प्रचार तंत्र लोगों की आम राय सामने आने नहीं दे रही है लेकिन वास्तविकता, दूरदर्शन वाहिनी, समाचार-पत्र और सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे भ्रम के ठीक उलट है। इसी का परिणाम है कि मरी हुई कांग्रेस एक बार फिर-से भाजपा के सामने बड़ी चुनौती प्रस्तुत करने लगी है।

वर्ष 2014 और 2019 के संसदीय आम चुनाव में भाजपा राजनीतिक विकल्पहीनता के कारण बड़ी जीत हासिल कर पायी। इन दोनों संसदीय चुनावों में भाजपा, मजबूत सांगठनिक शक्ति, वैचारिक अधिष्ठान, असंगठित विपाक्ष और बहुसंख्यक बोटों के धरुवीकरण के कारण जीत हासिल कर पायी। वर्ष 2024 का संसदीय आम चुनाव थोड़ा अलग लड़ा जाने वाला है। इस बार चुनाव से पहले विपक्षी एकता साकार होती नजर आ रही है। यही नहीं विपक्षी दलों ने कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी को लगभग अपना नेता मान लिया है। इस विपक्षी गठबंधन में कुछ वे दल भी शामिल हो गये हैं, जो किसी समय भाजपा के साथ हुआ करते थे। हालांकि अपनी जगह उन दलों का प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन वे राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी भूमिका निभाने में आज भी सक्षम हैं। इसका असर आम चुनाव पर पड़ना तय माना जा रहा है। दूसरी तरफ, इस बार भाजपा के अंदर और विचार परिवार में कई प्रकार के अंतरद्वंद्व उभरकर सामने आने लगे हैं। पार्टी और विचार परिवार के अंतरविरोध प्रांत स्तर पर भी मौजूद हैं। प्रदेश स्तर पर देखा जाये तो भाजपा शासित प्रत्येक प्रांतों में यह अंतरविरोध साफ देखने को मिलता है। गुजरात में केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह एवं प्रभावशाली पटेलों के बीच बड़ी खाई है। इस खाई को पाटने के लिए ही पिछले विधानसभा चुनाव के ठीक पहले अमित शाह के बेहद प्रिय कहे जाने वाले विजय रूपाणी को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था।

मध्य प्रदेश में भाजपा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके गुट के कुछ कांग्रेसी विधायकों को पार्टी में शामिल करा अपनी सरकार तो बना ली लेकिन अब वही गुट भाजपा के लिए बड़ी समस्या खड़ी करने लगी है। ज्योतिरादित्य के कारण मध्य प्रदेश भाजपा का एक बड़ा तबका पार्टी से विमुख होता दिख रहा है। यही तबका विगत लंबे समय से भाजपा को जीत दिलवाता रहा है। बेशक छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल कमजोर हुये हैं लेकिन वे इतने भी कमजोर नहीं हैं कि भाजपा उन्हें मात दे दे। छत्तीसगढ़ भाजपा नेतृत्व एवं तेज विहीन दिख रही है। इसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। राजस्थान में वसुंधरा राजे अभी भी प्रभावशाली बनी हुई है। भाजपा वसुंधरा को यदि मुख्यमंत्री नहीं घोषित करती है तो राजस्थान का चुनाव पार्टी के लिए कठिन होगा।

पिछली बार किसी तरह हरियाणा में भाजपा सत्ता हासिल कर पायी। इस बार हरियाणा में चुनाव जीतना भाजपा के लिए आसान नहीं होगा। यहां भी कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। पंजाब में भाजपा की स्थिति पहले से कमजोर है। दिल्ली में यदि आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन सिरे चढ़ जाता है तो भाजपा के लिये दिल्ली भी आसान नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और उत्तराखंड में भाजपा अभी भी मजबूत है। इन दोनों प्रांतों में आपसी संघर्ष के कारण कांग्रेस कमजोर है। उत्तर प्रदेश में इस बार भाजपा की सीट कम हो जाएगी। इसके कई कारण बताये जा रहे हैं। कारणों की व्यापक व्याख्या हो सकती है। बिहार, झारखंड, ओड़िशा, पंश्चिम बंगाल एवं दक्षिण के प्रांतों में विपक्षी गठबंधन पहले से मजबूत है। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने जो इंडिया नामक गठबंधन प्रस्तुत किया है, वह भाजपा के लिए चुनौती तो है।

इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि भाजपा अपनी नीतियों में बदलाव कर मुसलमानों के प्रति अपने रूख में नरमी बरतनी प्रारंभ कर दी है। भाजपा के रणनीतिकारों ने जहां एक ओर मुसलमानों में अपना जनाधार बढ़ाने के लियं पसमांदा मुसलमानों का संगठन खड़ा किया है, वहीं सूफीवाद को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। यही नहीं, मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार ने कर्मचारियों को दी जाने वाली पुरानी पेंशन योजना को फिर-से लागू करने के लिए एक समिति का गठन किया है। संभव है कि चुनाव से पहले मोदी सरकार पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा कर दे। मोदी सरकार, चुनाव से पहले जनता को और कई रियायतें देने वाली है। जिसमें, गैस और पेट्रोलियम पदार्थो पर छूट आदि शामिल है। सरकार रेल यात्रियों के लिए भी कोई बड़ी घोषणा कर सकती है। यह साबित करता है कि केन्द्र की सरकार संचालित करने वाली पार्टी को इस बात का आभास हो गया है कि इस बार केवल बहुसंख्यक धरुवीकरण से काम चलने वाला नहीं है, कई मामलों में जनता को कुछ ठोस रियायतें देनी होगी।

भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मेट्रो नेटवर्क प्रणाली बनने की ओर अग्रसर:हरदीप सिंह पुरी

पीएमएवाई-यू के अंतर्गत लगभग 1.19 करोड़ घरों को मंजूरी प्रदान की गई

शिमला। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में शहरी परिदृश्य में बदलाव लाने की दिशा में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की चर्चा करते हुए, आवासन एवं शहरी कार्य और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री, हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि शहरी क्षेत्र में निवेश बढ़कर 18,07,101 करोड़ रुपये (2014 के बाद) हो चुका है, जो कि 1,78,053 करोड़ रुपये (2004-2014) था। मंत्री ने भारत के शहरी क्षेत्र में वृद्धि एवं विकास के प्रति सरकार की पूर्ण इच्छाशक्ति और संकल्प को दोहराया।

मंत्री 'ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप' शीर्षक से एक अपडेट ई-पुस्तिका (2014-2023) के विमोचन के अवसर पर बोल रहे थे। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय में सचिव, मनोज जोशी और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मंत्री द्वारा जारी की गई पुस्तिका में भारत में शहरी परिदृश्य के विकास के उद्देश्य से चलाई गई विभिन्न योजनाओं/पहलों/कार्यक्रमों/मिशनों की प्रगति के आंकड़ों/सूचनाओं को शामिल किया गया है। इन योजनाओं/मिशनों में अन्य के अलावा स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू), प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू), कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत), प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना और दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) शामिल हैं।

कार्यक्रम के दौरान मीडिया को जानकारी देते हुए, हरदीप सिंह पुरी ने शहरी विकास के प्रति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के एक ब्यान को याद किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि 'हम शहरीकरण को एक अवसर के रूप में देखते हैं और हम शहरों को विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो जीवन को आसान बनाते हैं।' उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप, सरकार ने पिछले नौ वर्षों में शहरी क्षेत्र में बदलाव लाने के अवसर का सदुपयोग किया है। उन्होंने बल देकर कहा कि यह क्षेत्र पहले उपेक्षित रहा है।

मंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन (यू) के अंतर्गत हुई प्रगति पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मिशन ने 67.10 लाख घरेलू शौचालयों और 6.52 लाख सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालय के निर्माण के साथ शौचालयों तक अपनी शतप्रतिशत पहुंच बनाई है। इस मिशन के माध्यम से अपशिष्ट प्रसंस्करण में चार गुना बढ़ोतरी हुई है और यह 2014 में 18 प्रतिशत से बढ़कर 2023 में 75.20 प्रतिशत हो चुकी है। एसबीएम-यू के अंतर्गत किए गए प्रयासों के कारण नगरपालिका द्वारा ठोस कचरे का पृथक्करण और डोर-टू-डोर संग्रह में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

पीएमएवाई-यू के अंतर्गत उपलब्धियों की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए, पुरी ने कहा कि अब तक, इस योजना ने 1.19 करोड़ घरों को मंजूरी प्रदान कर मील का पत्थर प्राप्त किया है। 113 लाख से ज्यादा घरों का निर्माण किया गया है, जिनमें से 76.34 लाख का निर्माण पूरा हो चुका है और उसे लाभार्थियों में वितरित कर दिया गया है। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि यह मिशन महिला के नाम पर या संयुक्त नाम पर घरों को शीर्षक प्रदान करके महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। पीएमएवाई-यू के अंतर्गत 94 लाख से ज्यादा घर महिलाओं या संयुक्त स्वामित्व के नाम पर हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पीएमएवाई-यू के अंतर्गत परियोजनाओं/घरों के निर्माण के लिए नवीनतम तकनीकों का उपयोग कर रही है। ग्लोबल चैलेंज प्रक्रिया के माध्यम से 54 नई प्रौद्योगिकियों की पहचान की गई है और इनका उपयोग विभिन्न लाइट हाउस परियोजनाओं के निर्माण में किया जा रहा है।

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री ने शहरी परिवहन को मजबूत करने की दिशा में की गई विभिन्न पहलों के परिणामों का उल्लेख करते हुए कहा कि आज 20 विभिन्न शहरों अर्थात् दिल्ली और सात एनसीआर शहरों, बैंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, जयपुर, कोच्चि, लखनऊ, मुंबई, अहमदाबाद, नागपुर, कानपुर और पुणे में लगभग 872 किलोमीटर मेट्रो लाइनें परिचालित हो रही हैं जिनकी औसत दैनिक सवारियां 85 लाख हैं। इसके अलावा, पूरे देश के विभिन्न शहरों जैसे दिल्ली, बंगलौर, कोलकाता, चेन्नई, कोच्चि, मुंबई, नागपुर, अहमदाबाद, गांधीनगर, पुणे, कानपुर, आगरा, भोपाल, इंदौर, पटना, सूरत और मेरठ में लगभग 988 किमी की मेट्रो रेल परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, जिसमें दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस भी शामिल है। उन्होंने कहा कि देश विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मेट्रो नेटवर्क प्रणाली बनने की ओर अग्रसर है।

उन्होंने 'पीएम-ई-बस सेवा' का भी उल्लेख किया, जिसे हाल ही में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है, यह पीपीपी मॉडल पर आधारित और 10,000 ई-बसों के माध्यम से सिटी बस संचालन को बढ़ाने वाली योजना है।

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय में सचिव, मनोज जोशी ने पहले से रुकी हुई रियल एस्टेट परियोजनाओं को पूरा करने के उपायों की सिफारिश करने के लिए जी-20 शेरपा, अमिताभ कांत की अध्यक्षता में गठित एक समिति की सिफारिशों के बारे में विस्तार से बताया। समिति ने 21 अगस्त 2023 को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी।

मनोज जोशी ने रुकी हुई परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए समिति द्वारा प्रदान किए गए विभिन्न सुझावों के बारे में बात की, जिसमें अन्य सहित रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) के नेतृत्व में समाधान और परियोजनाओं के समाधान के लिए आईबीसी का उपयोग शामिल है।

यह हैं समिति द्वारा दी गई सिफारिशें

रेरा के साथ अनिवार्य पंजीकरण: सभी रियल एस्टेट परियोजनाओं का पंजीकरण रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 रेरा, में होना अनिवार्य है। इसके अलावा, जवाबदेही और पारदर्शता सुनिश्चित करने के लिए समिति सिफारिश करती है कि इस प्रावधान को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है और विनियामक प्राधिकरण आवश्यक शर्तो और दंड/जुर्माने को माफ करके पंजीकरण की सुविधा प्रदान करेगा।

सभी कब्जे वाली इकाइयों के लिए पंजीकरण/उप-पट्टा दस्तावेज का निष्पादन: कमेटी ने सिफारिश की है कि यूनिटों पर कब्जा करने वाले घर खरीददारों के पक्ष में उप-पटा का तत्काल पंजीकरण/निष्पादन किया जाये और इसे बिल्डरों से बकाया राशि की वसूली से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इससे लगभग एक लाख घर खरीददारों को फायदा होगा। कमिटी ने यह भी सिफारिश की कि डिफॉल्टर बिल्डरों से बकाया राशि की वसूली के लिए कठोर और सख्त कारवाही एक साथ शुरू की जानी चाहिए। ऐसे मामलों में जहां घर खरीदारों से बिल्डरों को बकाया राशि का भुगतान करने की उम्मीद की जाती है, समिति का सुझाव है कि रेरा को बिल्डरों को दरकिनार करते हुए सीधे घर खरीदारों से यह भुगतान एकत्रित करना चाहिए।

वास्तव में पूरी हो चुकी सभी परियोजनाओं का अधिकार/कब्जा: कमिटी ने सुझाव दिया कि विनियामक प्राधिकरणों को समाधान के लिए ऐसी परियोजनाओं की पहचान करनी चाहिए जहां निर्माण वास्तव में पूरा हो चुका है लेकिन अनापत्ति प्रमाण पत्र/पूर्णता प्रमाण पत्र के अभाव में कब्जा नहीं दिया गया है। समिति यह भी सिफारिश करती है कि इन परियोजनाओं के लिए व्यवसाय और पूर्णता प्रमाण पत्र सहित मंजूरी प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए, भले ही डेवलपर्स ने अधिकारियों को अपने बकायों का भुगतान न किया हो।

राज्य सरकार के पुनर्वास पैकेज का प्रस्ताव: कमेटी ने सुझाव दिया कि राज्य सरकार रुकी हुई परियोजनाओं के लिए पुनर्वास पैकेज की घोषणा कर सकती है जिससे इन परियोजनाओं को वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाया जा सके।

रेरा की रूपरेखा और प्रशासक के नेतृत्व में परियोजनाओं का पुनरुद्धार: कमेटी ने सुझाव दिया कि जिन परियोजनाओं में डेवलपर पैकेज के अंतर्गत परियोजना को पूरा करने की जिम्मेदारी नहीं लेता है या ऐसा करने में विफल रहता है, ऐसी परियोजनाओं को रेरा के नेतृत्व वाले पुनरुद्धार संरचना द्वारा पूरा किया जा सकता है। अगर घर खरीदार खुद परियोजना को पूरा करने का प्रस्ताव रखते हैं, तो उन्हें वरीयता प्रदान करनी चाहिए। इस रुपरेखा के अंतर्गत, समिति सभी हितधारकों के बीच समान कटौती का सुझाव देती है और प्रशासक की नियुक्ति से लेकर बोली प्रदान करने तक की पूरी प्रक्रिया 6 महीने के अंदर पूरी की जानी चाहिए।

रुकी हुई परियोजनाओं का वित्तपोषण: कमेटी ने सुझाव दिया कि परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वित्तपोषण को प्राथमिकता वाला वित्तपोषण माना जाना चाहिए और स्वामी फंड को इन रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सक्रिय रूप से वित्त प्रदान करना चाहिए।

परियोजनाओं के लिए अंतिम उपाय के रूप में आईबीसी का उपयोग: कमेटी ने सुझाव दिया कि रियल एस्टेट परियोजनाओं के मामले में आईबीसी का उपयोग केवल अंतिम उपाय के रूप में किया जाना चाहिए। कमेटी ने यह भी सलाह दिया कि राज्य सरकारों/बिल्डरों/ बैंकरों/क्रेताओं/भूमि प्राधिकरणों को उन मामलों में और मुकद्दमेबाजी से बचना चाहिए जहां माननीय उच्चतम न्यायालय अपना निर्णय सुना चुका है।

उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए किया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग

शिमला। उपभोक्ता कार्य विभाग ने नई दिल्ली में 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और उपभोक्ता' विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लाभों को प्राप्त करते हुए उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के मुद्दों का पता लगाने के लिए उपभोक्ता कार्य विभाग और हितधारकों के बीच रचनात्मक बातचीत की गई।

उपभोक्ता कार्य विभाग के सचिव रोहित कुमार सिंह ने प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि प्रौद्योगिकी जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रचलित है और दैनिक जीवन में लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है। इसलिए, उपभोक्ताओं के साथ उनके संबंधों के बारे में इन प्रौद्योगिकियों के प्रभावों के बारे में सावधान रहना और भी अधिक आवश्यक है। कार्यशाला में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की निगरानी, उपभोक्ता शिकायतें दर्ज करने की सुविधा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तकनीक के उपयोग पर भी चर्चा की गई।

विभिन्न हितधारकों और विशेषज्ञों ने खरीदारी की प्राथमिकताओं की पहचान करने, खरीदारी के स्वरूप, उन्नत अनुशंसाएं, भविष्य में ग्राहकों को होने वाले समर्थन के बारे में चर्चा की गई। इसके के साथ-साथ चर्चा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की चुनौतियों में गोपनीयता संबंधी चिंताएं, डिफॉल्ट/चूक के मामले में दायित्व सौंपने में कठिनाई, लिंग, रंग आदि जैसे मापदंडों पर एल्गोरिथम पूर्वाग्रह और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा विनियमित बैड बॉट्स शामिल थीं।

कार्यशाला में इस बात पर चर्चा की गई कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और आर्थिक विकास के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के बीच संतुलन बनाना है। उत्पादक डेटा प्रबंधन, महत्वपूर्ण मूल्यांकन, सुरक्षित बातचीत, लेखा-परीक्षण और प्रतिष्ठित स्रोतों तथा चिंताओं को व्यक्त करने के लिए मंच सहित सुरक्षा उपायों पर चर्चा की गई। कार्यशाला में आगे कहा गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति निर्माताओं के लिए चार सबसे बड़ी चुनौतियां एल्गोरिथम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा नौकरियों का प्रतिस्थापन, भ्रामक समाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कमजोर परिभाषा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए विनियमन होंगी।

दिलचस्प चर्चाओं में निम्नलिखित सुझाव प्रस्तावित किए गए। हमारे संविधान में निहित बुनियादी सिद्धांतों जैसे समानता और गोपनीयता का अधिकार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्राप्त डेटा का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए, इस पर दैनिक वैधानिक सुरक्षा पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सरकार द्वारा नियम बनाना, मामलों के वर्गीकरण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करना और उन्हें सही विभाग तक पहुंचाना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार के क्षेत्र में सरकार द्वारा नियमों के बीच संतुलन बनाना शामिल था।

उपभोक्ता कार्य विभाग उद्योग हितधारकों और नीति निर्माताओं के बीच चल रहे सहयोग को प्रोत्साहन देने के लिए इस सत्र के परिणामों का लाभ उठाने के लिए तत्पर है। इस आयोजन के दौरान साझा किए गए विचार और सुझाव भविष्य के नीति निर्धारण के लिए एक आधार के रूप में काम करेंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नियम उपभोक्ता हितों के अनुरूप हों। विभाग के पास प्रमुख हितधारकों और विषय वस्तु विशेषज्ञों के साथ नियमित रूप से जुड़ने की लंबे समय से चली आ रही प्रथा है।

मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को तीन दिन के भीतर नुकसान का आकलन करने के दिए निर्देश

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी उपायुक्तों के साथ एक वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की और उन्हें अपने जिलों में भारी बारिश से हुए नुकसान का तीन दिन के भीतर आकलन करने के निर्देश दिए। उन्होंने आपदा प्रभावितों की सहायता के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए अधिकारियों को राहत व पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों से क्षति की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए आवश्यक दिशा – निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उपायुक्त जिलों में क्षति का मूल्यांकन कर सम्बंधित क्षेत्रों को आपदा प्रभावित क्षेत्र का दर्जा प्रदान करें। उन्होंने कहा कि प्रभावितों को राहत राशि के उचित वितरण के लिए एसडीएम और उपायुक्तों सहित राजस्व अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि भारी बारिश के कारण हुई तबाही के दृष्टिगत राज्य सरकार ने एक विशेष राहत पैकेज की घोषणा की है। इसमें प्रभावितों की सहायता के लिए दस गुणा तक बढ़ा मुआवजा प्रदान किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि पूर्व में पक्के मकान को आंशिक क्षति पर 12,500 रुपये और कच्चे घर को आंशिक क्षति होने पर 10,000 रुपये की राहत राशि दी जाती थी। लेकिन प्राकृतिक त्रासदी के कारण हुए नुकसान को देखते हुए सरकार ने इसे बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया है। उन्होंने कहा कि पहले दुकानों और ढाबों को हुए नुकसान के मुआवजे के रूप में सामान के बदले केवल 10 हजार रुपये की आंशिक आर्थिक सहायता मिलती थी जिसे अब राज्य सरकार ने दस गुना बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया है। इसके अलावा, नए प्रावधानों के अनुसार दुधारू और भारवाहक मवेशियों की मृत्यु पर प्रति पशु 55,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी और भेड़, बकरी और सुअर की मृत्यु की स्थिति में वित्तीय सहायता को 4000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये कर दिया गया है।

प्रदेश में धंसते क्षेत्रों के संबंध में चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह की प्राकृतिक आपदा के कारण उत्पन्न स्थितियों का गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जिन प्रभावितों की सम्पत्ति पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, उन्हें पर्याप्त सहायता सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि ईमारती लकड़ी और ईंधन की लकड़ी की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश से बाहर इनके निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के इस आदेश की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री ने आपदा के दौरान उपायुक्तों द्वारा किए गए त्वरित प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रतिबद्धता के फलस्वरूप 48 घंटों के भीतर विद्युत एवं पेयजल आपूर्ति बहाल की गई। उन्होंने कहा कि अब विभाग सड़कों की मरम्मत पर विशेष ध्यान दे ताकि किसान अपनी उपज समयबद्ध बाजार तक पहुंचा सकें। उन्होंने कहा कि सड़कों को बहाल करने के लिए मशीनें किराये पर लेने में धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी।

बैठक में प्रधान सचिव राजस्व ओंकार चंद शर्मा, प्रधान सचिव लोक निर्माण भरत खेड़ा, प्रधान सचिव वित्त मनीष गर्ग, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निदेशक डीसी राणा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

सचिवालय से सीटीओ तक विद्युत केबल बिछाने के लिए आवंटित होंगे 10 करोड़ रुपये

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश सचिवालय से सीटीओ शिमला के मध्य भूमिगत विद्युत केबल बिछाने के लिए 10 करोड़ रुपये आवंटित किये जायेंगे। उन्होंने अधिकारियों से भूमिगत विद्युत केबल बिछाने के दौरान उचित निकासी (डक्ट) की सुविधा सुनिश्चित करने को कहा। इससे भारी बर्फबारी और प्रतिकूल मौसम में भी शिमला शहर में उपभोक्ताओं को निर्बाध और चौबीसों घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी। उन्होंने अधिकारियों को लोगों की सुविधा के लिए राज्य के अन्य भागों में भी विद्युत केबल बिछाने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में प्रचुर जल संसाधन उपलब्ध हैं और राज्य में जल विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता 24567 मेगावाट है, जिसमें से 172 परियोजनाओं के माध्यम से 11150 मेगावाट बिजली का दोहन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से शेष विद्युत क्षमता का दोहन करने के प्रयास कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को आगामी जल विद्युत परियोजनाओं में गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार विद्युत क्षमता के उचित दोहन को प्राथमिकता प्रदान कर रही है। यह क्षेत्र हिमाचल को देश का आत्मनिर्भर राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल को देश के हरित ऊर्जा राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रही है और वित्त वर्ष 2023 – 24 के दौरान 500 मेगावाट की क्षमता की नई सौर ऊर्जा परियोजनाएं शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार चम्बा जिला के पांगी क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति के सुदृढ़ीकरण के लिए सौर ऊर्जा आधारित बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पायलट आधार पर प्रदेश के प्रत्येक जिले की दो – दो पंचायतों को हरित पंचायत बनाने का निर्णय लिया है। इन पंचायतों में 500 किलोवाट से एक मेगावाट क्षमता वाली सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा स्थापित विद्युत परियोजनाओं में रायल्टी बढ़ाने का मामला उचित मंच पर उठाया गया है। वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश के अधिकारों की मांग विभिन्न मंचों के माध्यम से उठा रही है।

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल, अध्यक्ष, हि.प्र. राज्य विद्युत नियामक आयोग डी. के. शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, सचिव बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा राजीव शर्मा और हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हरिकेश मीणा बैठक में उपस्थित थे।

राज्य में जलवायु परिवर्तन और आपदा तैयारियों के दृष्टिगत 890 करोड़ रुपये का कार्यक्रम तैयार

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार ने राज्य में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों और आपदा तैयारियों के दृष्टिगत 890 करोड़ रुपये का 'हिमाचल प्रदेश आपदा जोखिम न्यूनीकरण और

तैयारी कार्यक्रम' बनाया है। फ्रांसीसी विकास एजेंसी के सहयोग से तैयार यह कार्यक्रम अप्रैल, 2024 से आरंभ होगा और आगामी पांच वर्ष तक कार्यान्वित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए आपदा और जलवायु जोखिम में कमी लाना है। इसमें आपदाओं का सामना करने के लिए बुनियादी ढांचे को मज़बूत करना और शासन प्रणाली से संबंधित संरचनाओं का विस्तारीकरण शामिल है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे से निपटने के दृष्टिगत अग्रसक्रिय कदम उठाना समय की आवश्यकता है।

इस पंचवर्षीय योजना में कई प्रमुख घटक शामिल हैं, जिनमें आपदा जोखिम गवर्नेंस पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है। इसमें संस्थागत क्षमताओं को बढ़ाना, जोखिमों को गहराई से समझना और ज्ञान प्रबंधन को मज़बूत करने पर बल दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त आपदा तैयारियों को सुदृढ़ करना भी कार्यक्रम का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है, जिसमें प्रभावी प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों की स्थापना और आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता में वृद्धि की जाएगी।

इस कार्यक्रम के संसाधनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शमन उपायों पर केन्द्रित किया जाएगा, जिसमें पारिस्थितिकी आधारित ईको – आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रकृति – आधारित समाधान शामिल हैं। इसका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से पार पाने की दिशा में कार्य कर रहे विभिन्न विभागों को समर्पित निधि प्रदान की जाएगी।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इसमें हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एचपीएसडीएमए) और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) को मज़बूत करने के साथ – साथ राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना भी प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, योजना में एक राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (ईओसी) और जिला – स्तरीय आपदा परिचालन केन्द्र भी स्थापित किए जाएंगे। सभी नदी घाटियों के लिए ग्रामीण स्तर पर जलवायु परिवर्तन भेद्यता आकलन (सीसीवीए) के साथ – साथ कांगड़ा में एक विशेष आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) कंपनी की स्थापना की जाएगी।

उन्होंने कहा कि इसमें भूस्खलन, आकस्मिक बाढ़, बादल फटने, ग्लेशियरों के पिघलने से बनने वाली अस्थायी झीलों के कारण बाढ़ और बांध सुरक्षा के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली का विकास भी शामिल है। बाढ़ पूर्वानुमान के लिए नेटवर्क में सुधार और जीआईएस – आधारित निर्णय सहायता प्रणाली आरंभ करना परियोजना का महत्त्वपूर्ण पहलू है।

जंगल की आग के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम में अग्नि – शमन उपायों को कार्यान्वित करने के लिए भी रणनीति तैयार की गई है। इसमें पहले से विभिन्न स्थानों पर आवश्यक उपकरणों और वाहनों की सुविधा सहित अग्निशमन केंद्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

इसके अलावा योजना का लक्ष्य खतरनाक सामग्री से उत्पन्न होने वाली आपात स्थितियों से निपटने के लिए तीन मौजूदा अग्निशमन केन्द्रों की क्षमता बढ़ाना है। इसके साथ – साथ इसमें भू – स्खलन रोकने और संवेदनशील भू – स्खलन स्थलों का स्थिरीकरण शामिल किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव बढ़ने के साथ – साथ हिमाचल प्रदेश आपदा जोखिम न्यूनीकरण और तैयारी कार्यक्रम के तहत विभिन्न आपदाओं से निपटने के लिए एक अग्रसक्रिय दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम में पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने के लिए बहुआयामी रणनीति के साथ – साथ क्षमता विकास के लिए महत्त्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं।

बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए खेलें जरूरी:नरेश चौहान

शिमला/शैल। खेलें हमारे जीवन का अभिन्न अंग हैं जिनसे हमारा शारीरिक एवं मानसिक विकास सुनिश्चित होता है। यह बात मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला संजौली में कबड्डी मैट का लोकार्पण करने के अवसर पर बोलते हुए कही। उल्लेखनीय है कि 2.50 लाख रूपये की लागत से यह कबड्डी मैट रोटरी क्लब शिमला द्वारा इस पाठशाला को भेंट किया गया है ताकि खिलाडियों को कबड्डी खेलने में अच्छी सुविधा प्राप्त हो सके।

उन्होंने कहा कि विद्यार्थी जीवन से ही बच्चों को खेलों और व्यायाम के प्रति प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि वे नशे और मोबाईल की लत से दूर रहें। उन्होंने चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रगतिशील और आधुनिक बनने के दौड़ में हम अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। आज के बच्चों का हर समय मोबाइल, लैपटॉप और वीडियो गेम्स में व्यस्त रहने के कारण उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

नरेश चौहान ने विद्यार्थियों का आहवान किया कि वे पढ़ाई के साथ – साथ खेलकूद में भी बढ़ – चढ़कर भाग लें। उन्होंने अधयापकों तथा अभिभावकों से आग्रह किया कि वे बच्चों को खेलकूद के प्रति प्रोत्साहित करें क्योंकि खेलें न केवल उनका मनोरंजन करती हैं अपितु उनके स्वास्थ्य को भी उत्तम बनाती हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार खिलाड़ियों तथा स्कूलों में खेलों से सम्बन्धित हर प्रकार की आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने के प्रति पूरी तरह वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में सरकारी क्षेत्र में राजीव गांधी बोर्डिंग स्कूल खोलने के महत्वपूर्ण निर्णय से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बेहतरीन सुविधाएं प्राप्त होंगी।

चौहान ने कहा कि आज निजी स्कूलों की अपेक्षा सरकारी स्कूलों में भी पढ़ाई का स्तर बेहतर है। प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा को महत्व देते हुए प्राथमिक स्तर से कॉलेज स्तर तक हर प्रकार की सुविधाएं मुहैया उपलब्ध करवाई जा रही हैं। प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री ने स्वंय भी सरकारी स्कूल में शिक्षा ग्रहण की है और आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं।

उन्होंने पाठशाला के लिए कबड्डी मैट प्रदान करने के लिए रोटरी कल्ब शिमला का आभार व्यक्त किया तथा पाठशाला के विकास कार्यो के लिए अपनी ओर से एक लाख रूपये की राशि देने की घोषणा की।

पाठशाला की प्रधानाचार्य नीना मैहता ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया तथा पाठशाला की शैक्षणिक एवं अन्य गतिविधियों का ब्यौरा दिया।

इस अवसर पर बैमलोई वार्ड की पार्षद शीनम कुमारी कटारिया, रोटरी क्लब शिमला के अध्यक्ष योगेश आर्य, पूर्व अध्यक्ष एस.एन.कपूर, वरिष्ठ सदस्य ध्यान चन्द एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने हवाई सेवा सुदृढ़ करने के लिए अधोसंरचना विकास पर बल दिया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य में प्रति वर्ष पांच करोड़ पर्यटकों के आवागमन के लक्ष्य की पूर्ति के लिए हवाई सेवा की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। राज्य में हवाई सेवा को सुदृढ़ करने

के लिए चरणबद्ध तरीके से सभी ज़िला मुख्यालयों और जनजातीय क्षेत्रों में 16 हेलीपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले चरण में जिला हमीरपुर के जसकोट, जिला कांगड़ा के रक्कड़ और पालमपुर, जिला चंबा के सुल्तानपुर, जिला कुल्लू के मनाली, जिला लाहौल-स्पीति के जिस्पा, सिस्सू और रंगरीक तथा जिला किन्नौर के शारबो में नौ हेलीपोर्ट विकसित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सुल्तानपुर, रक्कड़, पालमपुर और जसकोट में हेलीपोर्ट निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, जबकि अन्य हेलीपोर्ट के लिए प्रक्रिया चल रही है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि दूसरे चरण में शेष 7 हेलीपोर्ट स्थापित किए जाएंगे। यह हेलीपोर्ट जिला चंबा के पांगी और होली, जिला बिलासपुर के औहर, जिला सिरमौर के धारकियारी, जिला शिमला के चांशल पास, जिला ऊना के जनकौर हार और जिला के जिला सोलन के गनालग में निर्मित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रक्कड़ हेलीपोर्ट की स्थापना के लिए एफसीए स्वीकृति प्राप्त हो गई है और जसकोट, मनाली, जिस्पा, सिस्सू, रंगरिक, पांगी और होली सहित 6 हेलीपोर्ट के एफसीए मामले पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि बेहतर हवाई सेवा राज्य के पर्यटन क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगी। बेहतर हवाई सेवा की सुविधा से पर्यटक कम समय में गंतव्यों तक आसानी से पहुंच सकेंगे। पर्यटन स्थलों में आसान पहुंच से देश-विदेश के अधिक पर्यटक इन स्थानों में घूमने आएंगे जिससे स्थानीय पर्यटन और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि पर्यटन क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख अंग है। यह क्षेत्र स्थानीय युवाओं को रोज़गार और स्वरोज़गार के अवसर भी प्रदान करता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पर्यटन अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण और पर्यटकों के लिए सुविधाओं में सुधार पर विशेष बल दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने कांगड़ा को प्रदेश की पर्यटन राजधानी बनाने का निर्णय लिया है। इस पहल के तहत आगामी समय में कई नई परियोजनाएं क्रियान्वित की जाएंगी और राज्य सरकार पर्यटकों की यात्राओं को अधिक मनोरंजक, सुलभ एवं अविस्मरणीय बनाने के लिए क्षेत्र में पर्यटन विकास के लिए 3000 करोड़ रुपये व्यय करेगी। उन्होंने कहा कि पर्यटकों की सुविधा के लिए कांगड़ा हवाई अडडे का विस्तार भी किया जा रहा है।

बैठक के दौरान एक प्रस्तुतिकरण भी दिया गया।

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर, मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव विवेक भाटिया और अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

नवीन प्रौद्योगिकी आधारित पाठ्यक्रमों से उपलब्ध होंगे रोजगार के अवसर: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। राजकीय तकनीकी संस्थानों में आधुनिक पाठयक्रमों के प्रति छात्रों की बढ़ती रूचि से व्यवस्था परिवर्तन की भावना से कार्य कर रही प्रदेश सरकार के प्रयास रंग लाने लगे हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बिलासपुर जिला में स्थित राजकीय हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, बांदला में इस वर्ष बीटेक कार्यक्रम में कम्प्यूटर साईंस एवं इंजीनियरिंग (कृत्रिम मेधा व डाटा साईंस) नया पाठयक्रम शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि अकादमिक सत्र वर्ष 2023-24 के लिए पहली बार शुरू किये गये इस पाठयक्रम में मेरिट आधार पर 76 सीटें भरी जा चुकी हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान परिपेक्ष्य में उभरती हुई प्रौद्योगिकी युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाती है और इसी को ध्यान में रखते हुए वर्तमान प्रदेश सरकार राज्य के तकनीकी संस्थानों में नई पीढ़ी के पाठयक्रम शुरू करने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि राजकीय बहुतकनीकी संस्थान, रोहडू एवं चम्बा में कम्प्यूटर इंजीनियरिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्ज़ व मैकेट्रॉनिक्स के विशिष्ट पाठयक्रम आरम्भ किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 17 राजकीय औद्योगिक तकनीकी संस्थानों में इसी अकादमिक सत्र से औद्योगिक क्षेत्र की मांग के अनुरूप इलेक्ट्रिक व्हीकल मकैनिक, तकनीकी मैकेट्रॉनिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज़ सहित नई पीढ़ी के अन्य पाठयक्रम शुरू किए गए हैं। इसके लिए प्रवेश प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है तथा प्रशिक्षु इसमें गहन रूचि दर्शा रहे हैं।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इन नए मूल्यवर्द्धित पाठयक्रमों को आरम्भ करने का उद्देश्य तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना और इसे रोजगारपरक बनाना है। उन्होंने कहा कि इससे औद्योगिक इकाइयों को राज्य में प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने कहा कि यह पहल उन्नत प्रौद्योगिकी के लिए बेहतर वातावरण तैयार करने और युवाओं को रोजगार के प्रचुर अवसर उपलब्ध करवाते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की दिशा में सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है।

हजारों विद्यार्थियों के भविष्य को अंधकार में झोंकने पर अमादा हैं जय राम:रोहित ठाकुर

शिमला/शैल। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर पर पलटवार करते हुए कहा है कि सरदार पटेल विश्वविद्यालय (एसपीयू) का मुद्दा उठाकर वह केवल राजनीतिक रोटियां सेंक रहे हैं। केवल मात्र अपने अहम की तुष्टि के लिए जय राम ठाकुर हजारों युवाओं के भविष्य को अंधकार में झोंकने पर अमादा है। सत्ता में रहते हुये जय राम ठाकुर ने सरदार पटेल विश्वविद्यालय को केवल एक कॉलेज के भवन में शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि यहां पर गुणात्मक शिक्षा तो दूर, न विद्यार्थियों के लिए कक्षा लगाने की सही व्यवस्था थी और न ही उनकी परीक्षाएं करवाने में विश्वविद्यालय सक्षम हो पाया। जय राम ठाकुर ने सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ को देखते हुए सरदार पटेल यूनिवर्सिटी खोली और विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया।

यहां जारी एक प्रेस वक्तव्य में रोहित ठाकुर ने कहा कि सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में पर्याप्त टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ भी नहीं है। ऐसे में वहां पढ़ रहे विद्यार्थियों को उचित सुविधाएं कैसे मिल सकती हैं। इन हालात को देखते हुए कुछ कॉलेजों ने स्वयं लिख कर दिया था कि उन्हें सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से हटाकर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के साथ जोड़ा जाए, ताकि उनके यहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में 500 से ज्यादा टीचिंग स्टाफ है और नॉन टीचिंग स्टाफ भी पर्याप्त संख्या में हैं।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार का सरदार पटेल विश्वविद्यालय को बंद करने का कोई इरादा नहीं है और न ही इस विश्वविद्यालय को बंद किया जा रहा है। लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए जय राम ठाकुर ने एक बार फिर सरदार पटेल विश्वविद्यालय का राग छेड़ दिया है और वह क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा होता कि सत्ता में रहते हुए वे विश्वविद्यालय खोलने के लिए पहले आधारभूत ढांचा विकसित करते। लेकिन, खेद की बात है कि उन्हें केवल अपने राजनीतिक लाभ की चिंता थी, बच्चों के भविष्य से उनका कोई लेना देना नहीं है।

रोहित ठाकुर ने कहा कि सरदार पटेल विश्वविद्यालय की बात छेड़ कर वह लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन राज्य के लोग भाजपा की इस छल की राजनीति से अच्छी तरह से वाकिफ हैं।

इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन विकसित करने को बनेगी प्रभावी नीति:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में विद्युत वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन विकसित करने के दृष्टिगत एक प्रभावी नीति बनाएगी। यह जानकारी उन्होंने यहां आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने कहा कि इस नीति में चार्जिंग स्टेशन में सुलभता, सुविधा और रोजगार सहित विभिन्न पहलुओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निजी ऑपरेटरों को चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 50 प्रतिशत की दर से उपदान भी दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से प्रदेश में स्थापित और वर्तमान में निर्माणाधीन चार्जिंग स्टेशनों के बारे में विस्तृत जानकारी भी ली। उन्होंने कहा कि प्रदेश को विद्युत वाहनों के लिए आदर्श राज्य के रूप में विकसित किया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्बन उत्सर्जन कम करने के उद्देश्य से राज्य में निजी एवं सरकारी क्षेत्र के सहयोग से विद्युत वाहनों को प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। प्रदेश में प्रथम चरण में राष्ट्रीय एवं राज्य उच्च मार्गो को विद्युत वाहनों के माध्यम से छह ग्रीन कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन मार्गो की लंबाई 2137 किलोमीटर है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम में चरणबद्ध तरीके से विद्युत बसों की संख्या बढ़ाई जा रही है। उन्होंने हिमाचल पथ परिवहन निगम को विद्युत बसों के परिचालन के लिए रूट चिन्हित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक परिवहन को विद्युत परिवहन के रूप में विकसित करने से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता समाप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए विकसित किए जाने वाले आधारभूत ढांचे के लिए चिह्नित की जाने वाली भूमि, संरचना निर्माण के लिए उपयुक्त होनी चाहिए। भूमि का मौके पर अध्ययन कर ही निर्माण कार्य आरंभ किया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया में व्यावहारिक पहलुओं का अध्ययन नितांत आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं के निर्माण की वस्तु स्थिति की समीक्षा भी की। उन्होंने इन परियोजनाओं के निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन अमोनिया और बायोगैस संयंत्र स्थापित करने की संभावना तलाश करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने इसके लिए पायलट आधार पर संयंत्र स्थापित करने के लिए 31 अक्तूबर, 2023 तक एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि हरित हाइड्रोजन भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। यह पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से पर्यावरण को बिना किसी नुकसान तथा प्रदूषण रहित ढंग से बनती है। हिमाचल प्रदेश को ग्रीन हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रदेश सरकार ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि हरित ऊर्जा के रूप में जल ऊर्जा के दोहन में भी तेजी लाई जाएगी। वर्ष 2023-24 में 1000 मेगावाट क्षमता की पन- विद्युत परियोजनाओं को पूर्ण कर लिया जाएगा।

बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव भरत खेड़ा एवं आर. डी. नजीम, मनीष गर्ग, विभिन्न सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

राजस्थान सरकार से उठाई जाएंगी पौंग बांध विस्थापितों के पुनर्वास संबंधी मांगें:जगत सिंह नेगी

शिमला/शैल। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ पौंग बांध विस्थापितों के पुनर्वास के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पौंग बांध विस्थापितों के पुनर्वास के प्रति संवेदनशील है तथा उनकी उचित मांगों को राजस्थान सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

राजस्व मंत्री ने कहा कि पौंग बांध परियोजना के कारण प्रदेश के ज़िला कांगड़ा में 20722 परिवार प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस परियोजना से विस्थापितों को भूमि आवंटित करवाने के लिए प्रयासरत है। इसके अलावा शेष विस्थापितों को एकमुश्त राहत उपलब्ध करवाने पर भी विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में समय-समय पर बैठकें आयोजित की जाएं ताकि विस्थापितों की मांगों का समय पर समाधान किया जा सकें।

इस अवसर पर जगत सिंह नेगी ने उपायुक्त (राहत एवं पुनर्वास) राजा का तालाब तलवाड़ा, डॉ. संजय कुमार धीमान द्वारा विस्थापितों के जीवन तथा राहत व पुनर्वास प्रक्रिया पर लिखित पुस्तक 'विस्थापन का दंश' का विमोचन भी किया। यह पुस्तक भारत में विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं को समय पर पूर्ण करने के लिए विस्थापितों के त्याग को समर्पित है।

राजस्व मंत्री ने प्रधान सचिव राजस्व ओंकार चंद शर्मा से भी विस्थापितों के पुनर्वास के संबंध में चर्चा की।

बैठक में शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया ने विस्थापितों से संबंधित विभिन्न मांगों से अवगत करवाया।

संयुक्त सचिव राजस्व बलवान चंद तथा सहायक आयुक्त कांगड़ा सुभाष गौतम सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

महाभारत के संकेत से शुरू होकर खुले पत्र तक पहुंचे राजेन्द्र राणा

शिमला/शैल। पिछले कुछ दिनों में सरकार को लेकर जो कुछ घटा है यदि उसे एक साथ रखकर पढ़ने का प्रयास किया जाये तो पहली नजर में ही यह समझ आता है की सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। सरकार और संगठन में दूरियां बढ़ती जा रही है। कांग्रेस ने चुनाव के दौरान जनता को कुछ गारंटीयां दी थी। वह कितनी पूरी हुई है और उन पर किस गति से काम चल रहा है यह विधायक राजेन्द्र राणा के मुख्यमंत्री के नाम आये खुले पत्र से स्पष्ट हो जाता है। सरकार में अब तक जितने भी गैर विधायकों की ताजपोशीयां हुई है वह सभी लोग संगठन की बजाये मुख्यमंत्री के व्यक्तिगत मित्र करार दिए जा रहे है। इन्हीं ताजपोशीयों के कारण इस सरकार को मित्रों की सरकार कहा जाने लग पड़ा है। इस परिदृश्य में यदि पॉवर कॉरपोरेशन को लेकर आये पत्र बम्बों और मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर सोशल मीडिया में उठी चर्चाओं पर जिस तरह से पुलिस जांच चली है उस से यह लगने लगा है की सरकार का संकट बढ़ता जा रहा है।

सरकार में कार्यकर्ताओं की अनदेखी का जिक्र कांग्रेस अध्यक्षा राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री तक कर चुकी है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष एवं विधायक कुलदीप राठौर भी इस अनदेखी पर मुखर हो चुके हैं। मंत्री परिषद में खाली चले आ रहे पद अब तक भरे नहीं जा सके है। राजेन्द्र राणा और सुधीर शर्मा ने महाभारत का जो संकेत एक समय दिया था वह विधानसभा सत्र से पहले खुले पत्र तक पहुंच गया है। विपक्ष के पास सरकार के खिलाफ हर रोज मुद्दे पहुंच रहे है। सरकार वितिय स्थिति पर श्वेत पत्र लाने की जो कवायद कर रही थी वह अंजाम तक पहुंचने को पहले ही लोप हो गयी है क्योंकि यह सरकार स्वयं भी कर्ज की संस्कृति पर चल रही है। कर्ज और आपदा में भी जो सरकार सलाहकारों के पद सृजित करने से परहेज न करे उसको लेकर आम आदमी क्या धारणा बनायेगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसे विधानसभा सत्र से पहले खुले पत्र का आना पूर्व में आये महाभारत के संकेतों की ओर पहला कदम माना जा रहा है।

Rajinder Rana
M.L.A.
37-Sujanpur

MLA/SJN/2022

हिमाचल प्रदेश विधान सभा

Vill. Garoudu Mihale, P.O. Patlander,
Tehsil Sujanpur Tihra,
Distt. Hamirpur (H.P.) -176 111.
Office : Bus Stand Sujanpur Tihra
Mobile: 94181-45999
E-mail : rajinderrana9999@gmail.com

Dated : 02/09/2028

परम सम्माननीय मुख्यमंत्री जी,

जय हिन्द।

आप को प्रदेश का नेतृत्व करने का सौभाग्य हासिल हुआ है और आपके नेतृत्व में प्रदेश तेजी से आगे बढ़े, यह हम सब की कामना है । आप का राजनीति और पार्टी संगठन में एक लम्बा तजुर्बा रहा है। आपने कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई से लेकर युवा कांग्रेस और प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व किया है। अब आप हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं।

प्रदेश में इस वार भारी वारिश के कारण आई प्राकृतिक आपदाओं से अरबों रूपए की निजी और सरकारी संपती का नुक्सान हुआ है और बहुत सी कीमती जानें भी गई हैं। आपके नेतृत्व में प्रदेश सरकार युध्दस्तर पर राहत और पुनर्वास कार्यों को अंजाम दे रही है और सभी विधायक भी लगातार अपने विधानसभा क्षेत्रों में इस आपदा के दौरान डटे रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप केंद्र सरकार से अधिकाधिक आर्थिक मदद लाने में कामयाव रहेंगे ताकि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को हुये नुक्सान की भरपाई हो सके और प्रभावित लोगों को भी समुचित मदद मिल सके।

आपने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का सही निर्णय लिया है और इससे सभी विधायक अपने - अपने क्षेत्र में हुए नुक्सान के बारे में सही वस्तु स्थिति सदन में रख सकेंगे और इसके अलावा प्रदेश से जुड़े मामलों पर भी सदन में चर्चा हो जायेगी।

में आप का ध्यान कुछ महत्वपूर्ण विषयों की तरफ भी आकर्षित करना चाहता हूँ जिनके साथ जन भावनाएं भी जुडी हुई हैं .....

1. पिछले लम्बे समय से जो भर्तियों के परिणाम रुके हुए हैं और जिन युवाओं ने परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे अब बेचैन हैं और बड़ी अधीरता से रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। इन में बहुत से युवा ओवर एज हो रहे हैं और वे इस बात से चिंतित हैं की आयु सीमा लांघने के कारण कहीं वे सरकारी नौकरी के लिए अपात्र ना हो जाएँ। हम विपक्ष में रहते हुए लगातार इन युवाओं के हितों की पैरवी करते रहें हैं और अब कांग्रेस सरकार से इन युवाओं को बहुत उम्मीदें है। जनप्रतिनिधी होने के नाते सैंकड़ों ऐसे युवा मुझ से और पार्टी के अन्य चुने हुए जनप्रतिनिधियों से भी मिलकर भर्तियो का रिजल्ट तुरंत निकालने की मांग करते हैं और हमारे विधायक साथी भी इस बारे युवाओं की मांग को लेकर अक्सर चर्चा करते हैं। मेरा आप से आग्रह है कि इस बारे त्वरित निर्णय लिया जाये ताकि युवाओं का भविष्य सुरक्षित रहे।
2. हमीरपुर स्थित अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड लम्बे समय से बंद पड़ा है। मेरा आप से आग्रह है कि यहाँ इमानदार अधिकारी की तैनाती क़रके इसे फिर से क्रियाशील बनाया जाये। युवाओं की उम्मीदें इसके साथ जुडी हुई हैं। यहाँ भर्तियो का सिलसिला शुरू होने पर युवाओं के लिए रोजगार के द्वार भी खुलेंगे।

3. पिछली सरकार के समय से ही हजारों युवा करुणा मूलक आधार पर नौकरी पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमने भी विपक्ष में रहते हुए लगातार उनके हक की आवाज़ उठाई थी। उनके पक्ष में फैसला किया जाना समय की मांग है। युवाओं की नजरें आप पर टिकी हुई हैं । उम्मीद है कि आप इस वारे सहानुभूति पूर्वक निर्णय लेकर ऐसे युवाओं का भविष्य सुरक्षित रखेंगे।

4. पूर्व सरकार के कार्यकाल में जो पुलिस भर्ती में स्कैम हुआ था और इस वजह से हज़ारों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ था तब इस मामले को विपक्ष में रहते हुए हम सब ने सदन में बहुत जोर शोर से उठाया था। अब इस स्कैम पर संजीदगी दिखाने की जरूरत है और प्रदेश के युवाओं की उम्मीदें आप पर केन्द्रित हैं। इस भर्ती स्कैम में जो अधिकारी संलिप्त थे उन पर कड़ी कार्रवाई होने का जनता वेसब्री से इंतज़ार कर रही है।

5. प्रदेश में फर्जी डिग्री के माध्यम से युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ होने का मामला अभी तक ठंडा नहीं पड़ा है। जाँच लम्बी खिंचती रही है जिस तरह यह मामला सी बी आई को दिया जाना चाहिए था उस वारे पूर्व सरकार अपनी इछाशक्ति नहीं दिखा पाई थी और अब आपके नेतृत्व पर हमें पूरा भरोसा है कि आप इस वारे कड़ा फैसला लेंगे।

6. आउटसोर्स कर्मचारियों को न्याय दिए जाने का मुद्दा भी हम विपक्ष में रहते हुए सदन में उठाते रहे हैं। इन आउटसोर्स कर्मियों को अब आपसे न्याय की उम्मीद है। आप से आग्रह है कि इस वारे भी अब उदार चित हो कर निर्णय ले लिया जाए।

7. कोविड महामारी के दौर में नर्सिंग स्टाफ ने बड़ी तत्परता से अपनी भूमिका निभाई थी । उस समय मुशिकल भरे दौर में नर्सिंग स्टाफ की जो भर्ती हुई थी उनके हित और भविष्य सुरक्षित रहना चाहिय और उनके साथ अब पूरा न्याय होना चाहिय। आपने इस वारे भरोसा भी दिलाया है।

इस पत्र में जो तमाम विन्दु मैंने आपके समक्ष रखे हैं, वे समय की मांग हैं और इन्हें अमलीजामा पहनाए जाने से पार्टी की साख भी मजबूत होगी और आपका नेतृत्व भी मजबूत होगा।

शुभाकांक्षी,

(राजेन्द्र राणा)
विधायक,
सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र

पत्र बम्ब में दर्ज तथ्यों की जांच क्यों नहीं–जयराम

शिमला/शैल। पॉवर कॉरपोरेशन को लेकर आये दूसरे बम्ब पर कॉरपोरेशन के प्रबन्ध निदेशक हरिकेश मीना की शिकायत पर पुलिस ने धारा 500 और 505(2) के तहत एफ.आई.आर. दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। इस जांच में पुलिस पत्र में दर्ज तथ्यों से पहले पत्र लिखने वाले और उसे वायरल करने वाले का पता लगाने का प्रयास कर रही है। इस जांच में पुलिस ने पत्र को वायरल करने के लिये तीन लोगों को गिरफ्तार भी किया है। लेकिन अदालत से उन्हें जमानत भी मिल गयी है। पुलिस की जांच में पत्र का शक भाजपा की ओर गया है। कुछ विधायकों के नाम भी उछले हैं। भाजपा अध्यक्ष बिंदल ने यह नाम उछलने पर स्पष्ट कहा है कि इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पत्र में दर्ज तथ्यों की जांच किये जाने की मांग की है। इसी कॉरपोरेशन को लेकर एक पत्र पहले भी वायरल हो चुका है। लेकिन उसको लेकर न कोई मामला दर्ज किया गया और न ही सरकार की ओर से कोई जांच की गयी है। इस पत्र को नजर अंदाज क्यों किया गया। इस पर भी सवाल उठने शुरू हो गये हैं। अभी विधानसभा का सत्र आ रहा है। इस सत्र में यह मुद्दा किसी न किसी प्रकार से अवश्य उछलेगा क्योंकि पत्रों का सोर्स भाजपा होने की ओर जांच में संकेत उभर ही चुके हैं और भाजपा का इस पर मौन रहना उसके लिये ही घातक होगा। संभव है कि विधानसभा सत्र में पत्र के साथ कथित संलग्न दस्तावेज भी चर्चा में आये। ऐसे में जब पुलिस पत्र वायरल करने वालों तक पहुंच गयी है तो स्वभाविक है कि उसके यह संलग्न दस्तावेज भी आ चुके हों। फिर पुलिस ने अभी तक यह नहीं कहा है कि ऐसे कोई दस्तावेज नहीं है या प्रमाणिक नहीं हैं। स्वभाविक है कि दस्तावेज तो कॉरपोरेशन की फाइलों में होंगे। फाइलों तक पहुंच इसी कॉरपोरेशन में बैठे किसी अधिकारी कर्मचारी की ही हो सकती है। इसलिये पत्रों में दर्ज आरोपों को नजर अंदाज करना ज्यादा देर तक संभव नहीं होगा। जिस तरज में नेता प्रतिपक्ष ने तथ्यों की जांच की मांग की है उससे स्पष्ट है कि इस जांच से ज्यादा देर तक बचना संभव नहीं होगा क्योंकि कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कुछ पत्रकारों को भी जांच के लिये बुलाया गया था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने जिस तरह बिजली मीटरों पर जांच की मांग की है वह सब भी इस जांच के साथ जुड़ जाये।